कार्यालय जिलाधिकारी औरैया ।

पत्रांक 117 /स0भू0अ0–सात/तहसील दिवस बैण्डर/2013 , दिनांक अगस्त,28,2017

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–350/78–1–2008/18 आई0टी0–1/2008टी.सी.–6, दिनांक 30–06–2008 द्वारा तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को उनके कमांक से बेबसाइट पर फीड करने तथा उनके निस्तारण के उपरान्त आख्या बेबसाइट पर फीड करने एवं सतत् रूप से तहसील के सम्पर्क में रहकर कार्य को सम्पादित करने हेतु जनपद की तहसील औरैया के लिये एक बैण्डर (कम्प्यूटर आपरेटर) एंव तहसील अजीतमल के लिये एक बैण्डर (कम्प्यूटर आपरेटर) की फीडिंग कार्य करने हेतु इच्छुक बैण्डर (कम्प्यूटर आपरेटर) की अनुबन्ध के आधार पर आवश्यकता है । इस हेतु पूर्व से कार्यरत सिंगल बिंडो केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र संचालकों को उनके अनुभव के आधार पर वरीयता (जिलाधिकारी महोदय के निर्णयानुसार) प्रदान की जा सकती है । आवेदन प्रस्तुत करने वाले बैण्डर/संस्था (केन्द्र) के पास कम्प्यूटर, इण्टरनेट, जनरेटर, कनेक्टविटी, फोटोकॉपियर, प्रिन्टर, स्केनर व जनशक्ति आदि होना अनिवार्य है । आवेदक/संस्था (केन्द्र) को चयनोपरान्त प्रति माह 4000–00 (चार हजार) रूपया मात्र की दर से भुगतान किया जायेगा । चयन के उपरान्त जमानत धनराशि 4000–00 (चार हज़ार) रूपया मात्र जिलाधिकारी औरैया के नाम अनुबन्धित एन0एस0सी0 या एफडी के रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी । इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता सम्बन्धी विवरण सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 09–09–2017 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक भूलेख अधिकारी, औरैया मे प्राप्त करा सकते हैं । दिनांक 11–09–2017 (सोमवार) को समय दोपहर 12:00 बजे इच्छुक व्यक्तियों का साक्षात्कार जिला मुख्यालय (ककोर) के सभागार में होगा । विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक भूलेख अधिकारी औरैया से प्राप्त की जा सकती है । साक्षात्कार हेतु अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा । तहसील दिवस बैण्डर का चयन जिलाधिकारी औरैया के अनुमोदनोपरान्त अन्तिम होगा ।

अपर जिलाधिकारी,
औरैया ।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय औरैया को सूचनापट पर चस्पा करने हेतु ।
3. उप जिलाधिकारी औरैया/बिधूना/अजीतमल को सूचनापट पर चस्पा करने हेतु ।
4. तहसीलदार औरैया/बिधूना/अजीतमल को सूचनापट पर चस्पा करने हेतु ।
5. सम्पादक, दैनिक जागरण (जागरण प्रकाशन लि0) कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को आगामी अंक में न्यूनतम स्थान व दर पर प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की दो प्रतियां तत्काल व भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी औरैया से बिल बाऊचर सत्यापित कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

28/08/17

अपर जिलाधिकारी,
औरैया ।